न्यायालय, लोकपाल, मनरेगा, शेखपुरा

समाहरणालय परिसर, शेखपुरा, बिहार

पंचाट/ अधिनिर्णय

परिवाद संख्या– 04/2019-20

परिवादी का नाम :–श्री परशुराम सिंह, ग्राम– कामता, ग्राम पंचायत–हथियामा, प्रखण्ड –शेखपुरा, जिला– शेखपुरा द्वारा आवेदन प्राप्त।

आरोपित पक्ष :– पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत– हथियावाँ प्रखण्ड– शेखपुरा, जिला–शेखपुरा

शिकायत का सारांश :–

पंचायत रोजगार सेबक ग्राम पंचायत हथियावाँ द्वारा मनरेगा मजदूरी इन्दिरा आवास योजना में लाभ मिलते समय नहीं दिया गया और पंचायत रोजगार सेवक हथियावाँ द्वारा पैसे की माँग को जाती है।

आरोपो की जाँच :–

पंचायत रोजगार सेवक के तथ्यों के जाँच के लिए प्रखण्ड शेखपुरा मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी शेखपुरा एवं आवेदित पत्र भेजा गया। जिसके उपरान्त कार्यक्रम पदाधिकारी शेखपुरा एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रखण्ड शेखपुरा से भेजा गया जवाब को लोकपाल द्वारा पढ़ा गया। परन्तु यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि लाभ क्यों नहीं दिया गया। इन्हें आंशिक लाभ दिया गया है। और वर्त्तमान पंचायत रोजगार सेवक सिर्फ शिकायत कर्त्ता से यह स्पष्ट लिखवाया है कि तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक से रिश्वत को माँग नहीं की गई। और उसे फिर वर्त्तमान सुधार कर लिख दिया गया है।

पंचाट/ अधिनिर्णय :–

इन्दिरा आवास योजना में शिकायत कर्त्ता को आवास योजना का 70000/– रूपये का भुगतान किया गया परन्तु मनरेगा योजना में मजदूरी लाभ हेतु सम्बन्धित पंचायत रोजगार सेवक द्वारा आंशिक लाभ दिया गया। लोकपाल मानता है कि लाभ की राशि आंशिक क्यों दी गई। जबकि मकान ससमय पूरा कर लिया गया। चूकि आवास योजना की राशि पूरा दिया गया। लोकपाल मानता है कि तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक श्री सोहन प्रसाद सिंह द्वारा पंचायतो के आवास योजना धारक के भुगतान हेतु तत्यपर्यता दिखाया गया होता तब शिकायत कर्त्ता को इसका लाभ मिल गया होता! लोकपाल निर्देश करता है कि ग्रामीण विकास विभाग से बेवसाईट पर इनके बचे हुए राशि का भुगतान हेतु निर्देशित करवाकर इन्हें लाभ दिलवाया जाय। एवं सम्बन्धित पंचायत रोजगार सेवक श्री सोहन प्रसाद सिंह को पहली गलती देखते हुए 6000/–(छः हजार रूपये) की रकम आर्थिक दण्ड के रूप में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा में जमा करने का निर्देश देता है। जिन्हें एक माह के अन्दर जमा करने का निर्देश देता है। जिन्हें एक माह के अन्दर जमा कर देना है। अगर इनकी राशि जमा नहीं की जाती है तब इनका वेतन/भुगतान रोक दिया जाएगा और संबन्धित थाना में अगले तीस दिनों के अन्दर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देशित होंगे एवं आर्थिक दण्ड जमा करने के समय सीमा पार होने पर प्रतिदिन के हिसाब से 500 रू० आर्थिक दण्ड अलग से होगा।

निष्पादित दिनांक 05.09.2019

(ई० पंकज सिंहा)
लोकपाल,मनरेगा
शेखपुरा।

ज्ञापांक– 88/लो०पा०/2019-20 दिनांक– 05/09/2019

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी–सह–कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा, शेखपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– धत कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा प्रखण्ड अरियरी को सूचनार्थ एवं अनुपलनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– शिकायत कर्त्ता को सूचनार्थ।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी से अनुरोध है कि पंचाट की प्रति अपलोड कराये।
प्रतिलिपि :–निदेशक, E.governance &IT BRDS पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– तत्कालिन पंचायत रोजगार सेवक श्री सोहन प्रसाद सिंह को सूचनार्थ एवं अनुपलनार्थ प्रेषित।

(ई० पंकज सिंहा)
लोकपाल,मनरेगा
शेखपुरा।

Scanned by CamScanner